संख्या- 02 / 37 / चार-2015-252 (बजट)/12

प्रेषक,

राम विशाल मिश्र
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 14 जनवरी, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद चित्रकूट में लोहिया प्रेक्षागृह के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र संख्या- 2520/सं0नि-6(46)/2012-13, दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद चित्रकूट में लोहिया प्रेक्षागृह के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था **पैकफेड** द्वारा उपलब्ध कराये गये धनराशि रूपये 5,00,00,000/- (रूपये पॉच करोड मात्र) के आगणन का परीक्षण करते हुए प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत धनराशि रू0 4,56,02,000/- (रूपये चार करोड छप्पन लाख दो हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 50,00,000/- (रू0 पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

1- जिलाधिकारी, चित्रकूट द्वारा जनपद चित्रकूट में लोहिया प्रेक्षागृह के निर्माण हेतु आरक्षित भूमि नियमानुसार संस्कृति विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि वास्तविक आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यदायी संस्था पैकफेड को उक्त निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध कराया जायेगा, जो संलग्न आगणन के अनुसार नियमानुसार प्रश्नगत कार्य की अनुमोदित मात्राओं हेतु व्यय करेंगे।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

4- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों पर व्यय की जायेगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत निमयों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

5- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य बिना तकनीकी स्वीकृति के प्रारम्भ नहीं किया जायेगा। प्रश्नगत कार्य के अन्तर्गत समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशो/वित्तीय नियमों का पालन किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था के मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी का होगा।

6- बाट आउट एवं प्रोप्रोराइटरी श्रेणी के कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा। प्रोप्रोराइटरी प्रकृति के कार्यो पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता एवं उच्च

http://shasanadesh.up.nic.in

गुणवत्ता के आधार पर किया जायेगा। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम प्राधिकारी का होगा।

7- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकता अनुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण /सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

8- यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

9- प्रायोजना के अन्तर्गत उच्च विशिष्टियों यथा फाल्स सीलिंग एवं वाल पैनेलिंग का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है। उच्च विशिष्टियों पर उच्च सक्षम स्तर (मा0 मंत्रिपरिषद) का अनुमोदन प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

10- प्रायोजनान्तर्गत प्रेक्षागृह हेतु साउण्ड सिस्टम , डी0जी0 सेट एवं प्रेक्षागृह हेतु कुर्सियॉ आदि का प्राविधान किया गया है। क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करेंगे । चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिडयूल आफ रेटस उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, मॉडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है । अत: निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

11- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा।

12- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय 2014-15 के अनुदान संख्या- 92- के अधीन लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत- 04- कला तथा संस्कृति- 800- अन्य व्यय- 29- चित्रकूट में लोहिया प्रेक्षागृह की स्थापना-24 वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

13- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी -1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या - 02 / 37 (1)/चार-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, चित्रकूट।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी सघं लि0 19-ए विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
6- अधिशासी अभियन्ता , उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी सघं लि0, पैकफेड निर्माण प्रखण्ड चित्रकूट धाम बॉदा।
7- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मत्री (स्वंतत्र प्रभार) , संस्कृति विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मणीन्द्र शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in